न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 34/19 (वाद)
GCMS No. : 2019/00072

1. श्री धन्ना पिता नारायण मीणा निवासी आकोदडा तहसील वल्लभनगर।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती होमली पत्नी हकरा मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
2. श्रीमती अम्बावी पत्नी शंकर मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
3. श्रीमती दीतली पत्नी कालु मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
4. श्रीमती गणेशी पत्नी हरीया मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
5. श्रीमती सवली पत्नी रूपा मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
6. श्रीमती कालकी पत्नी अम्बावा मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
7. श्रीमती उमरी पत्नी पुना मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
8. श्रीमती भमरी पत्नी मोडा मीणा निवासी बछार डोडावली तहसील गिर्वा।
9. श्री मोडा पिता भग्गा मीणा निवासी बछार डोडावली तहसील गिर्वा।
10. श्री फता पिता गुंजा मीणा निवासी बछार डोडावली तहसील गिर्वा।
11. श्री नकाराम पिता रोडा मीणा निवासी अमलोई बछार डोडावली तहसील गिर्वा।
12. श्री प्रभुलाल पिता हरीया मीणा निवासी अमलोई बछार डोडावली तहसील गिर्वा।
13. श्रीमती वरजु पत्नी हींगा राम मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
14. श्रीमती मीरा देवी पत्नी शिवलाल मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
15. श्रीमती भेरकी पत्नी प्रभुलाल मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
16. श्रीमती लालकी पत्नी नाना मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
17. श्री शिवलाल पिता हरजी मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
18. श्री रूपलाल पिता अम्बावा मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
19. श्री हिगांराम पिता हकरा मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
20. श्री नानालाल पिता नाथु मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
21. श्री हकरा पिता देवा मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
22. श्री बाबुलाल पिता रता भील निवासी गादोली तहसील मावली।
23. श्रीमती कंकुबाई पत्नी रता भील निवासी गादोली तहसील मावली। मृतक
24. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
25. पटवारी, पटवार हल्का गादोली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता वादी।
2. श्री सम्पत सामोता, प्रतिवादी संख्या 22

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:31 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 10.01.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गादोली पटवार हल्का गादोली तहसील मावली की आराजी नम्बर 384, 385, 386 किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 में क्रमिक विक्रय एवं विभाजन हो आराजी संख्या 384/1, 384/2, 384/3, 384 मीन., 385/1, 385/2, 385/3, 385/4, 385/5, 385/6, 387/7, 385/8, 385 मीन., 386, 386/1 किता 15 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा हिस्से अनुसार दर्ज हो वर्तमान में सम्परिवर्तन कर दी हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 में प्रतिवादी संख्या 22 व 23 के नाम रता के फौत होने से विरासत अनुसार 1/4 वां हक व हिस्सा अनुसार दर्ज थी जिन्होने उक्त वर्णित भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र मांगीलाल पिता लिम्बा भील को 200/944 वां हक व हिस्सा विक्रय की तथा शेष हिस्सा नारायणी बाई पत्नी माधुलाल भील को विक्रय किया। जिससे द्वारा क्रमिक हस्तान्तरण एवं गुपचुप बंटवारा करा उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में आराजी संख्या 384/1, 384/2, 384/3, 384 मीन., 385/1, 385/2, 385/3, 385/4, 385/5, 385/6, 385/7, 385/8, 385 मी., 386, 386/1 किता 15 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा अंकित हो प्रतिवादी संख्या 1 से 21 के नाम पर दर्ज हैं।
3. यह कि वाद में वर्णित कृषि भूमि पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या 22 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 23 के पति के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज थी जिन्होने जरिये ईकरारनामा उक्त कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 03.09.1990 को वादी को प्रतिफल राशि 31,500/— रूपये में विक्रय कर दी तथा विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि में से रूपये 12,000/— रूपये जरिये श्री नली निरंजनसिंह जी पिता श्री सुमित्रसिंह जी लोढा निवासी 170 भूपालपुरा, उदयपुर के मार्फत वादी/क्रेता द्वारा श्री रता पिता जालमजी को अदा कर कब्जा तत्समय से ही वादी को सिपूर्द कर दिया तथा शेष प्रतिफल राशि रूपये 19500/[illegible] सम्वत् 2048 का जेठ सुद 13 को प्राप्त करना तय कर रूपये [illegible] के पूर्व वि[illegible] की रजिस्ट्री करा कर रूपये बकाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2025.03.07 14:40:31 IST
Reason: SelfAttested

लेना तय किया तथा उक्त भूमि में एक कच्चा चाह (कुंआ) स्थित था जिसमें भी रता के अलावा अन्य किसी का अधिकार नहीं था जिसे भी उक्त विक्रय ईकरार के माध्यम से वादी को विक्रय कर दिया। जिसके विक्रय का इकरार स्टाम्प किमती 3, 1, 1 कुल 5 रूपये के स्टाम्प क्रमांक 1218, 1219, 1220 पर निष्पादित किया जिसे दिनांक 03.09.90 को लेखक रामप्रताप इनाणी प्रलेख लेखक मावली में श्री रता भील के कहने से इकरारनामा मावली में लिखा सुनाया गया समझाया गया सुन समझ कर रता ने अंगुष्ठ किया तथा साक्षीगण के तौर पर पेमा पिता उदाजी भील निवासी गादोली द्वारा रताजी के कहने से मावली में दी तथा श्रीमती हगामी बेवा पुराजी भील निवासी गादोली ने जेठ श्री रताजी के कहने से मावली में दी व मदनलालजी ईनाणी ने श्री पेमा व श्रीमती हगामी के कहने से लिख दी।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 22 व 23 के पूर्वज रता द्वारा दिनांक 03.09.1990 को वादी के पक्ष में किये गये वाद में वर्णित अनुसार किये गये इकरार के पश्चात् रता पिता जालम ने फर्दन फर्दन विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि वादी से प्राप्त कर ली जिससे वादी वाद में वर्णित कृषि भूमि को अपने नाम खातेदारी काश्तकार घोषित कराये जाने का अधिकारी हैं। वाद वर्णित भूमि पर वादी को रता द्वारा कब्जा दिनांक 03.09.1990 को हस्तान्तरण कर देने से उक्त दिनांक से उक्त भूमि पर आज दिनांक तक अर्थात् लगभग 29 वर्ष से वादी का कब्जा हो शांतिपूर्वक काश्त कर रहा है जिससे वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण में से रता के कुलिया 1/4 वे हक व हिस्से भूमि को वादी अपने नाम पर वादी का उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन होने से भी वादी उक्त भूमि को अपने नाम खातेदारी काश्तकार घोषित कराये जाने का अधिकारी हैं।

5. यह कि वाद वर्णित भूमि में रता पिता जालम भील को उसके हिस्से का प्रतिफल प्राप्त हो जाने से तथा उसके वारिसान को भी उक्त प्रतिफल की प्राप्ति की जानकारी होने से तथा वाद वर्णित भूमि पर कब्जा नहीं होने से उन्हे उक्त भूमि को विरासत से केवल नाम मात्र दर्ज हो जाने से वादी के अलावा किसी अन्य को विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था अर्थात् किसी भी एक टिनेन्ट को एक ही कृषि भूमि का एक से अधिक बार प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 22 व 23 ने वाद वर्णित भूमि को विक्रय किया वह प्रारम्भतः शून्य है तथा वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाये जाने का अधिकारी हैं।

6. यह कि वादी का प्राइमाफैसी केस है इसलिए वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि मूल वाद के निर्णय तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pundia
Date: 2025.03.07 14:40:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि को वादी के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावे ना ही उक्त कृषि भूमि किसी अन्य को रहन, बैह, बक्षीस द्वारा अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करें। उक्त वर्णित कृषि भूमि में से वादी के नाम 1/4 हक व हिस्से अनुसार खातेदारी काश्तकार घोषित नहीं किया गया तो वादी को जो अपूरणीय क्षति होगी उसकी तुलना रूपये पैसों में किया जाना सम्भव नहीं है तथा सुविधा एवं संतुलन भी वादी के पक्ष में हैं।

7. यह कि वाद कारण दिनांक 20.01.2019 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण वाद वर्णित कृषि भूमि से वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने को उतारू हुए ओर कहा कि इस जमीन के हम खातेदार है तुम खाली कर दो तब मुझ वादी द्वारा पटवारी हल्का गादोली से वाद वर्णित भूमि की नकल प्राप्त की जिसमें वादी के हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो प्रतिवादीगण द्वारा वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने हेतु निवेदन किया तो उन्होने मना कर दिया तथा जबरन वादी के हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा करने को उतारू हुए तब उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
8. अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार की डिक्री प्रदान कराई जावे कि वाद में वर्णित मौजा गादोली पटवार हल्का गादोली तहसील मावली में स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 384/1, 384/2, 384/3, 384 मी., 385/1, 385/2, 385/3, 385/4, 385/5, 385/6, 385/7, 385/8, 385 मी., 386, 386/1 किता 15 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि में वादी को 1/4 वां हक व हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।
9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 22 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 22 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 23 के पति से वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में उनका सम्पूर्ण हिस्सा क्रय करने का कथन कर उक्त वाद प्रस्तुत किया है तथा जिस लिखापढी के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है वह लिखापढी पूर्ण फर्जी व बनावटी होकर अपूर्ण स्टाम्प पर लिखी हुई होकर अनरजिस्टर्ड है जबकि भारतीय पंजीयन अधिनियम की धारा 17 में इस तथ्य का उल्लेख किया हुआ है कि किसी दस्तावेज द्वारा वर्तमान में, भविष्य में किसी अधिकार, स्वत्व, शीर्षक अथवा हित का सृजन, अभिवृद्धि, हस्तान्तरण, प्रतिफल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:31 IST
Reason: SelfAttested

की प्राप्ति की रसीद या भुगतान की स्वीकृति का लेख पत्र उत्पन्न होता है जिसका मूल्य 100/— रूपये अथवा इसके अधिक मूल्य की अचल सम्पति से सम्बन्धित दस्तावेज का पंजीयन होना अनिवार्य है जबकि उपरोक्त वाद में जो लिखापढी वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है वह अनरजिस्टर्ड, अपूर्ण स्टाम्प पर होकर न तो साक्ष्य में ग्राह्य है, न ही इनसे किसी प्रकार के स्वत्व अथवा हक वादी को प्राप्त होते है। इस आधार पर वादी का वाद निरस्त होने योग्य हैं।

10. यह कि तथाकथित दस्तावेज के पंजीयन नहीं होने के अभाव में स्वामित्व का अन्तरण असम्भव है इस तथ्य को सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 एवं धारा 47 रजिस्ट्रेशन एक्ट में विस्तार से बताया गया है। उपरोक्त वाद में भी वादी का वादाधार भी अनरजिस्टर्ड व अपूर्ण स्टाम्पड दस्तावेज है जिससे वादी को किसी प्रकार के कोई हक अथवा अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

11. यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद में लिखे गये कथनो से भी यह स्पष्ट होकर प्रमाणित है कि उक्त भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नहीं होकर आवासीय परिवर्तनसुदा है और कानूनन आवासीय भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मामले की सुनवाई का अधिकार रेवेन्यु न्यायालय को नहीं होता हैं। चूंकि उक्त भूमि आवासीय है जिससे हस्तगत प्रकरण की सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने से भी यह वाद इसी स्तर पर निरस्त होने योग्य हैं। उक्त वाद पत्र में वादी दो प्ली लेकर आया है इकरार व कब्जा। इस अल्टरनेटीव प्ली के आधार पर भी यह वाद पत्र खारिज होने योग्य हैं। यह कि अनुज्ञेय कब्जे व प्रतिकूल कब्जे दोनो के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता है और न ही अनुज्ञेय कब्जे को प्रतिकूल कब्जे में तब्दील ही किया जा सकता हैं। प्रतिकूल कब्जा केवल मौखिक कथन व अपंजीकृत दस्तावेज से साबित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने की दिनांक 15.10.1955 के पूर्व से निरन्तर कब्जा होना जरूरी है उसके साथ ही धारा 15 के तहत् रिकोर्ड में उसका टिनेन्ट के रूप में दर्ज होना जरूरी हैं। वर्ष 1990 के ईकरार के आधार पर यानि कि भूमि के स्वत्व के आधार पर तथा साथ ही 29 वर्षों से विवादित भूमि पर कब्जा मुखालपाना के आधारपर जो वाद प्रस्तुत किया गया है जो दोनो ही Inconsistent Plea है तथा ऐसी Inconsistent Plea के आधार पर यह वाद चलने योग्य नहीं हैं। उक्त ईकरारनामें (लिखतम) के आधार पर यह वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:31 IST
Reason: SelfAttested

12. यह कि वादी उक्त तथाकथित ईकरारनामा की पालना हेतु स्पेशिफिक परफोरमेन्स का दावा सक्षम न्यायालय में कर सकता है ऐसी अवस्था में भी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं हैं। जाब्ता दिवानी में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (घ) में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जहां वाद पत्र के कथन से प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है तो उक्त आधार पर भी वाद माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं। ऐसी अवस्था में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होकर इसी स्तर पर निरस्त होने योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 22 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त सभी आधारों पर वादी का वाद इसी स्टेज पर सव्यय निरस्त फरमाया जावे और धारा 35 ए राज.टि.एक्ट के तहत विशेष हर्जा के रूप में 50,000/– रूपया मुझ प्रतिवादी को वादी से दिलाया जावें।

13. वादी/अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब पेश नहीं किया।

14. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 22 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 22 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 22 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

15. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pumadia
Date: 2025.03.07 14:40:31 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

16. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा गादोली पटवार हल्का गादोली तह. मावली के आराजी नम्बर 384/1, 384/2, 384/3, 384मीन, 385/1, 385/2, 385/3, 385/4, 385/5, 385/6, 385/7, 385/8, 385मिन, 386, 386/1 कुल किता 15 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि में वादी 1/4 हिस्से की घोषणा कराने का दावा प्रस्तुत किया है। वादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 22 व 23 के पूर्वज द्वारा जरिये ईकरारनामा विक्रय की गई। इस प्रकार वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में इकरारनामें के आधार पर घोषणा चाही गई है। प्रतिवादी संख्या 22 का कथन हैं कि लिखा पढी के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो फर्जी व बनावटी होकर अपूर्ण स्टाम्प पर व अनरजिस्टर्ड है। न्यायालय का विनम्र अभिमत हैं कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है जिसको प्रतिवादी द्वारा फर्जी व बनावटी बताया गया है इस प्रकार उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेज की सत्यता के संबंध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। **इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1981 आर.आर.डी. पेज नम्बर 173 छोगा बनाम रामनाथ में भी स्पष्ट किया गया हैं कि जब इकरारनामा रजिस्ट्रीकृत नहीं था तो इससे वाद भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।** इस प्रकरण में भी इकरारनामा रजिस्टर्ड नहीं है अतः अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदारी घोषणा नहीं दी जा सकती है। अधिवक्ता प्रतिवादी का कथन हैं कि वादग्रस्त भूमि का संपरिवर्तन हो चुका है जिसके संबंध में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा संपरिवर्तन आदेशों की फोटोप्रति पेश की गई, अतः संपरिवर्तित भूमि के संबंध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। वादपत्र की कलम संख्या 4 में वादी द्वारा अंकित किया गया हैं कि 29 वर्ष से वादी का कब्जा हो शान्तिपूर्वक काश्त कर रहा है इससे प्रतीत होता हैं कि वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाह रहा है। **कानून की स्थिति स्पष्ट है कि प्रतिकूल/पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी बाबत् राजस्थान काश्तकारी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Bunadia
Date: 2025.03.07 14:40:31 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं, केवल धारा 63(1)(4) के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के ही प्रावधान हैं। RRT 2011 पेज 721 के वृहत् पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान हीं नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं माना है। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं। इस प्रकार न्यायालय का विनम्र अभिमत हैं कि वादी का घोषणा का वाद अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर एवं संपरिवर्तित भूमि में होने से चलने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात एवं नजीरों के आधार पर वादी का घोषणा का वाद न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री धन्ना पिता नारायण मीणा निवासी आकोदडा तहसील वल्लभनगर।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती होमली पत्नी हकरा मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
2. श्रीमती अम्बावी पत्नी शंकर मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
3. श्रीमती दीतली पत्नी कालु मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
4. श्रीमती गणेशी पत्नी हरीया मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
5. श्रीमती सवली पत्नी रूपा मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
6. श्रीमती कालकी पत्नी अम्बावा मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
7. श्रीमती उमरी पत्नी पुना मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
8. श्रीमती भमरी पत्नी मोडा मीणा निवासी बछार डोडावली तहसील गिर्वा।
9. श्री मोडा पिता भग्गा मीणा निवासी बछार डोडावली तहसील गिर्वा।
10. श्री फता पिता गुंजा मीणा निवासी बछार डोडावली तहसील गिर्वा।
11. श्री नकाराम पिता रोडा मीणा निवासी अमलोई बछार डोडावली तहसील गिर्वा।
12. श्री प्रभुलाल पिता हरीया मीणा निवासी अमलोई बछार डोडावली तहसील गिर्वा।
13. श्रीमती वरजु पत्नी हींगा राम मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
14. श्रीमती मीरा देवी पत्नी शिवलाल मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
15. श्रीमती भेरकी पत्नी प्रभुलाल मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
16. श्रीमती लालकी पत्नी नाना मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
17. श्री शिवलाल पिता हरजी मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
18. श्री रूपलाल पिता अम्बावा मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
19. श्री हिगांराम पिता हकरा मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
20. श्री नानालाल पिता नाथु मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
21. श्री हकरा पिता देवा मीणा निवासी बछार तहसील झाडोल।
22. श्री बाबुलाल पिता रता भील निवासी गादोली तहसील मावली।
23. श्रीमती कंकुबाई पत्नी रता भील निवासी गादोली तहसील मावली। मृतक
24. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
25. पटवारी, पटवार हल्का गादोली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 34/19 (वाद) CIS No.: 2019/00072

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:31 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.01.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:31 IST
Reason: SelfAttested